Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी लूनकरणसर

हरचन्द आदि बनाम राजपाल आदि

किस्म मुकदमा :– 212 आर.टी.एक्ट

नं. मुकदमा.....45 /2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03.03.2022	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी जरिये अधिवक्ता श्री नेतराम सियाग द्वारा पेश किया गया। रिपोर्ट सरिश्ते की होकर प्रस्तुत होने पर अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावें। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जावे। इसके पश्चात् वकील प्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना–पत्र पर इकतरफा बहस सुना गया। वकील प्रार्थीगण ने बहस द्वारा अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु निवेदन किया । पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रस्तुत रिकार्ड व प्रार्थीगण के शपथ–पत्र पर विश्वास करते हुए प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता हैं। अतः प्रकरण में आरजीतौर पर अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण रोही धीरदान के खसरा नम्बर 536 तादादी 8.3400हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 535 तादादी 11.2600 हैक्टेयर भूमि आगामी तारीख पेश तक रिकॉर्ड की यथास्थिति रखे। प्रार्थी सीपीसी आदेश 39 नियम 3 की पालना करें। यह आदेश DILRMP एवं भारतमाला प्रोजेक्ट से सम्बन्धित भूमि, रास्ता एवं रोडा एक्ट से प्रभावी भूमि के सम्बन्ध में प्रभावी नहीं होंगे। इसमें यदि अप्रार्थीगण को कोई उज्र या ऐतराज हो तो नियत पेशी को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर पेश करें। तहरीर अलग से जारी होकर पत्रावली आयन्दा दिनांक 04.04.2022 को पेश हो। अशोक	
04/05/22	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण उपस्थित। वकील प्रार्थीगण द्वारा जरिये प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र बाबत आर्डर निषेधाज्ञा स्थगित (विड्रॉल) करने हेतु निवेदन किया गया। उक्त सम्बन्ध में बाद पत्र जरिये प्रार्थना पत्र पूर्व में स्थगित किया जा चुका है। प्रार्थीगण उपस्थित जिनकी तरफ से श्री नेतराम सियाग द्वारा की गई। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आर्डर [illegible] इसी सिरे पर स्थगित किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार होकर इस आदेश हाजिर इयत्तर हो। अशोक	दिनांक 04/05/22 हरचन्द Signature Not Verified Digitally signed by Ashok Kumar Date: 2022.06.20 18:19:12 IST Reason: SelfAttested